

29/6/17

फनावली आदि नाम आपके द्वार-2017 के मू कोइकोय पर पत्र
 इसी नाम प्रथम श्रेणी है/ विपक्षी क. 1 के अधिवक्ता के
 विपक्षी क. 2 का स्थान है/ विपक्षी क. 1 न पत्ता गरी के माध्य
 जारी होने में सहजता जाता है/ फनावली का आवेदन किया
 गया/ प्रथम श्रेणी का प्रथम फल पत्ता गरी का ही आवेदन
 जाता है/ किन्तु प्रथम से लिखवाया गया/ फनावली
 फनावली लोक समिति के कर्मचारी के पास/

श्री/से।
 20/5/17
 श्री/से-2
 कर्मचारी

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र गोकल तिवाडी, निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा।
2. बंशी लाल पुत्र रूपनारायण ब्राह्मण, निवासी आकोला तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 29.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 02.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 489/1 रकबा 02-18 बीघा, आराजी संख्या 489/3 रकबा 00-02 बीघा, आराजी संख्या 491/1 रकबा 02-14 बीघा, कुल किता 03 कुल रकबा 03-05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 489/1 रकबा 02-18 बीघा, आराजी संख्या 489/3 रकबा 00-02 बीघा, आराजी संख्या 491/1 रकबा 02-14 बीघा, कुल किता 03 कुल रकबा 03-05 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कटवाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान को उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 400/- अक्षरे चार सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 29.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा